आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

अधिग्रहण वाद संख्या– 14R28/08-09

प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, खूँटी .... आवेदक

बनाम्

पतरस मुण्डा .... विपक्षी

आदेश

07.05.10

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के पत्रांक 408 / आ0 दिनांक 29.09.08 के द्वारा पतरस मुण्डा रद्द जन वितरण प्रणाली के दुकान से प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, खूँटी द्वारा जब्त गेहूँ 5 (पाँच) क्वीटंल एवं चावल 11 (ग्यारह) क्वीटंल को धारा 6(ए) के अन्तर्गत अधिग्रहण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारम्भ किया गया। श्री अजय कुमार सिंह, प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, खूँटी के द्वारा रद्द जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पतरस मुण्डा के मकान–सह–दुकान से दो स्वतंत्र गवाह (1) श्री सेलाय बाजराय पिता स्व0 लुकस बाजराय एवं (2) श्री लोदरो टुटी पिता स्व0 देवगाय टुटी ग्राम पंचायत डाड़ीगुटू की उपस्थिति में जब्त गेहूँ 5 (पाँच) क्वीटंल एवं चावल 11 (ग्यारह) क्वीटंल को निकट के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता श्री चुड़ामनी सिंह टुटी पे0 स्व0 लाल सिंह टुटी, ग्राम पंचायत हाकाडुबा अनुज्ञप्ति संख्या– 1 / 2003 को सुरक्षित रखने हेतु जिम्मानामा पर दिया गया।

उपर्युक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि जब्त खाद्यान्न ऊँचे मूल्य पर बिक्री हेतु रखा गया था, जो व्यापारिक वस्तु (अनु0 पत्र एकीकरण) आदेश 1984 की कंडिका 3 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रतिवादी से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए. के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ कर उक्त अधिनियम की धारा 6 बी. के अन्तर्गत कारण पृच्छा की मांग

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3

की गई तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी से जब्त सामग्री को उसी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं में नियमानुसार बिक्री कर विक्रय राशि कोषागार, खूँटी में जमा कर चालान की एक प्रति की मांग की गई। तामिला प्रतिवेदन तथा चालान की प्रति प्राप्त है।

विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है तथा स्पष्ट किया गया है कि वर्त्तमान वाद चलने योग्य नहीं है तथा नियम के विरूद्ध है। विपक्षी का जन वितरण प्रणाली का दुकान है जिसका अनुज्ञप्ति संख्या–KH 5/97 है। विपक्षी के अनुपस्थिति में दिनांक 24.09.08 को लगभग 1.10 बजे 5 क्वीटंल गेहूँ तथा 11 क्वीटंल चावल जब्त किया गया था। जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। विपक्षी द्वारा कभी भी बिहार वस्तु अधिनियम के विरूद्ध कार्य नहीं किया गया है। अतः विपक्षी द्वारा वर्त्तमान अधिग्रहण वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी विस्तारपूर्वक बहस किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया बहस सुनने, अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के पत्रांक 408 / आ0 दिनांक 29.09.08 के द्वारा प्रेषित पत्र के अवलोकन, विपक्षी द्वारा दाखिल कारण पृच्छा के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विपक्षी द्वारा 5 क्वीटंल गेहूँ एवं 11 क्वीटंल चावल को ऊँचे मूल्य पर बिक्री हेतु रखा गया था जो व्यापारिक वस्तु (अनु0 पत्र एकीकरण) आदेश 1984 की कंडिका 3 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी को आदेश दिया जाता है कि जब्त 5 क्वीटंल गेहूँ एवं 11 क्वीटंल चावल का निलामी कराकर प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित।

7/5/10
उपायुक्त,
खूँटी।

7/5/10
उपायुक्त,
खूँटी।